UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.17/2016/872/XXX-4-2016-113/89TC dated June 15, 2016

Notification

No.17/2016/872/XXX-4-2016-113/89TC
Lucknow: Dated: June 15, 2016

In exercise of the powers under sub-sections (1) and (2) of section-68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with sub-rule (8) of rule 55 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 and section-21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. X of 1897) the Governor is pleased to make following amendment in Government notification no.2104/XXX-4-08-113/89, dated January 29, 2009 as amendment by Notification No.1614/XXX-4-2015-113/89TC, dated December 22, 2015.

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the constitution of the State Transport Authority, in serial no.1 for the words "Shri Anil Kumar Ojha, Special Secretary and Additional Legal Remembrance, Judicial Deportment, Government of Uttar Pradesh" the word " Transport Commissioner, Uttar Pradesh" shall be substituted. -Chairman.

By Order,

(Kumar Arvind Singh Deo)
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या-17/2016/872/तीस-4-2016-113/89टीसी

लखनऊ: दिनांक: 15 जून, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 55 के उप नियम (8) और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल अधिसूचना संख्या-1614/तीस-4-2015-113/89टीसी, दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 द्वारा यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-2104/तीस-4-08-113/89, दिनांक 29 जनवरी, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन में, क्रम संख्या-1 में शब्द "श्री अनिल कुमार ओझा, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन" के स्थान पर शब्द "परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश" रख दिये जायेगें, -अध्यक्ष।

आज्ञा से,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-17/2016/872(1)/तीस-4-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 15 जून, 2016 के असाधारण गजट के परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-17/2016/872(2)/तीस-4-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0प0 निगम, लखनऊ।
4- निदेशक, यातायात, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0प0 निगम)।
6- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश (द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0प0 निगम)।
7- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिव्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in